(c) by when the stagnation increment and arrears of additional D.A. are likely to be paid and the revised pay scales as recommended by the IV Pay Commission are likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) Yes, Sir. However, as the applicability of the III Pay Commission's pay scales to such staff has been held in objection by the Audit authorities, the stagnation increment could not be paid.

(b) All the employees of Government funded Projects are in receipt of D.A./A.D.A. sanctioned by Government upto and for 1-4-1986.

(c) The matter regarding the stagnation increment, arrears of D.A. beyond 1-4-1986 and admissibility of revised pay scales as per IV Pay Commission's recommendations is presently sub judice in the Delhi High Court.

परिचर्या स्नातकों की नियुक्ति के लिए भर्ती नियम

3848. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अस्पतालों में परिचर्या स्नातकों/स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की नियुक्ति और पदोन्नति के सम्बन्ध में भर्ती नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए इन नियमों में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और इससे सम्बद्ध अस्पताल में परिचर्या कार्य से जुड़े कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस अस्पताल में परिचर्या कार्य से जुड़े कर्मचारियों के पदनाम और वेतनमान क्या हैं; और

(ङ) इस अस्पताल में नियोजित परिचर्या स्नातक/स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की बजाय कम योग्य व्यक्तियों को पदोन्नत करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) प्रत्येक अस्पताल के अलग-अलग भर्ती नियम हैं । तथापि, कार्य की अपेक्षाओं के अनुसर जहां कहीं भी आवश्यक हो भर्ती नियमों में नर्सिंग स्नातकों/स्नातकोत्तरों को नियुक्त करने का प्रावधान है ।

(ग) पदोन्नतियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)** ।

(घ) ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान
1.	मुख्य नर्सिंग अधिकारी	3000–4500
2.	नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	2200–4000
3.	उप नर्सिंग सुपरिटेंडेंड	2000–3500
4.	सहायक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	2000–3200
5.	नर्सिंग सिस्टर	1640–2900
6.	स्टाफ नर्स	1400–2600
7.	प्रधान ट्यूटर	2200–4000
8.	सीनियर ट्यूटर	2000–3500
9.	सिस्टर ट्यूटर	2000–3200
10.	नदानिक अनुदेशक	1640–2900

(ङ) पदोन्नतियां वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए भर्ती नियमों में दी गई उपबंधों के अनुसार की जाती हैं।

विवरण

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सचेता कृपलानी अस्पताल में पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई पदोन्नतियों का ब्यौरा

1987

नर्सिंग सिस्टर	2
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	1
सिस्टर ट्यूटर	

1988

नर्सिंग सिस्टर	2
सहायक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	1
उप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	1

1989

नर्सिंग सिस्टर	2
सहायक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	1
सीनियर ट्यूटर	1

1990

नर्सिंग सिस्टर	32
सहायक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	
सिस्टर ट्यूटर	
प्रिंसिपल ट्यूटर	

1991

सहायक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	
उप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट	
सिस्टर ट्यूटर	

Homoeopathic Medicines cleared by the Port Offices

3849. SHRI RAMSINH RATHWA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the details of the list of Homoeopathic Medicines allowed to be cleared by the port offices;

(b) the details of consignments which have been cleared over and above this list; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA) (a) The Export and Import Policy 1992—97 permits import of all Homoeopathic medicines and drugs.

(b) and (i) Do not arise.

Import of Bio-pesticides from Russia

3850. SHRI S. MADHAVAN:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Hindu dated 28th July, 1992 under the caption 'Import of bio-pesticides from Russia";

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the import was allowed without the approval of the regulatory agencies and if so, what are the reasons therefor;

(d) whether it is a fact that the technology for mass production of this pesticide is available in Inida and if so, what are the reasons for allowing import thereof;

(e) whether this import of pesticide is for the use of Health Ministry to control Malaria mosquitoes and if so,